(57)

कार्यालय शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

सं0- 27719 / दस–शीरा / शीरा नीति / 2014–15 / इलाहाबाद:दिनांक:जनवरी, 20 2015

आदेश

इस कार्यालय के पत्र सं0–जी–76 / दस–185(1) / शीरा नीति / 2014–15 दिनांक–6.11.2014 के कम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शीरा नीति वर्ष 2014–15 के निर्धारण के सन्दर्भ मे पत्र सं0–02 / 2230ई–2 / तरह–2014–129 / 2013 दिनांक–16.01.2015 के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवगत कराया गया है :–

"2- आपके उक्त पत्र में शीरा नीति वर्ष 2014-15 का प्रस्ताव नीति निर्धारण हेतु उपलब्ध कराया गया है। पत्र मे प्रदेश में शीरे की उपलब्धता के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया है कि शीरा वर्ष 2013-14 मे दिनांक 30-9-2014 तक 353.48 लाख कुण्टल शीरे का उत्पादन हुआ है। गत वर्ष 2012-13 के अवशेष शीरे की मात्रा 32.53 लाख कुण्टल को सम्मिलित करते हुये प्रदेश में शीरे की कुल उपलब्धता 385.72 लाख कुण्टल हुई है। शीरा परामर्श समिति की बैठक दिनांक 18-10-2014 में शीरा सत्र 2014-15 हेतु गन्ना आयुक्त द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार 330 लाख कुण्टल शीरे का सम्भावित उत्पादन निम्नानुसार आंकलित किया गया है:-

क्र0सं0	श्रेणीवार चीनी मिलों का विवरण	शीरा सत्र 2013-14 में उत्पादित शीरे की मात्र (लाख कु0 में)	शीरा सत्र 2014-15 में 330 लाख कु0 सम्भावित उत्पादन के आधार पर (लाख कु0 में)
1	2	3	4
1-	एकल चीनी मिले(प्राइवेट-37)	67.98	63.47
2-	बी0आई0एफ0आर0 (न्योली एवं कप्तानगंज)	2.95	2.75
3-	भारत सरकार (03)	00	00
4-	कारपोरेशन (23)	2.03	1.89
5-	फेडरेशन की चीनी मिलें(22 एकल चीनी मिले)	28.39	26.50
6-	फेडरेशन की चीनी मिलें (06 चीनी मिलें सह आसवनी वाली)	7.93	7.41
7-	प्राइवेट ग्रुप की चीनी मिलें (65)	244.20	227.98
	योग	353.48	330

3- प्रस्ताव मे देशी मदिरा हेतु शीरे की आवश्यकता एवं आरक्षण के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है कि आबकारी राजस्व का लगभग 50-60 प्रतिशत अंश देशी मदिरा से प्राप्त होता है, अतः यह आवश्यक है कि समस्त देशी मदिरा आपूर्तक आसवनियों को उनकी आवश्यकतानुसार समुचित शीरा उपलब्ध कराया जाय। इस परिप्रेक्ष्य में शीरा सत्र 2013-14 में देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों के लिये 34 प्रतिशत शीरा आरक्षित किया गया था। शीरा वर्ष 2014-15 हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 का व्यवस्थापित एम0जी0क्यू0 एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु एम0जी0क्यू0 में प्रस्तावित 08 प्रतिशत वृद्धि को ध्यान में रखते हुये आरक्षित शीरे की आवश्यकता निम्नानुसार आंकलित होती है.-

आरक्षित शीरे की आवश्यकता

अ- नवम्बर,14 से मार्च,15 (3.83 × 5)(वित्तीय वर्ष 14-15) -- 19.15 लाख कुण्टल

ब- अप्रैल,15 से अक्टूबर,15 (4.105 × 7)(वित्तीय वर्ष 15-16) -- 28.735 लाख कुण्टल

योग- 47.88 अर्थात् 48 लाख कुण्टल

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवशेष स्टाक (Balance Stock) को सिविल अपील संख्या-4466/2007 मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 24-9-2007 के पैरा-20 मे स्पष्ट किया गया है, जो कि निम्नवत् है:-

"In our opinion, however, clause (3) applies only to excess stock of molasses, that is, molasses which is in excess of and not used for captive consumption by sugar factory and is thus balance stock."

अतः शीरा वर्ष 2014-15 का सम्भावित अवशेष स्टाक (Balance Stock) = समूह की चीनी मिलो का अनारक्षित प्रारम्भिक अवशेष + शीरा सत्र 2014-15 का उत्पादन - शीरा वर्ष 2014-15 में स्वयं का उपभोग (शीरा वर्ष 2013-14 मे स्वय के उपभोग के समान)

उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार तीन वर्षों का अवशेष स्टाक (Balance Stock) का विवरण निम्नवत् है:- शीरा वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 में समूह की चीनी मिलों में शीरे का प्रारम्भिक अवशेष/उत्पादन/सम्भरण/अवशेष का विवरण

Year	Opening Balance	PRODUCTION	TOTAL	Captive Consumption	Balance Stock (4-5)	Sold to other and wastage without Cap.	Wastage	Total Gradud Balance
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011-12	2784483	27416596	30201079	21030616	9170463	7458833	135417	1711630
2012-13	1725454	30595858	32321312	21641107	10680205	8227721	89879	2457[illegible]
2013-14	2457715	25213743	27671458	20150718	7520740	3900688	85139	3547010

शीरा वर्ष 2013-14 की समाप्ति (अक्टूबर,2014 की समाप्ति) के उपरान्त उपरोक्त स्थिति तीन वर्षों मे निम्नानुसार है:-

विवरण	वर्ष 2011—12	2012—13	2013—14
समूह की चीनी मिलों में शीरे की उपलब्धता (कुल उपलब्धता के सापेक्ष प्रतिशत)	302.0[illegible] (69.5%)	323.21 (71.6%)	276.[illegible] (71.[illegible]%)
एकल चीनी मिलो मे शीरे की उपलब्धता (कुल उपलब्धता के सापेक्ष प्रतिशत)	132.50 (30.5%)	127.98 (28.4%)	109.30 (28.3%)
समूह की चीनी मिलों में कैप्टिव उपभोग के बाद अवशेष मात्रा	91.70	106.80	75.21
समूह की चीनी मिलों द्वारा सम्भरित कराये गये आरक्षित शीरे की मात्रा	16.35	16.02	8.35
समूह की चीनी मिलों द्वारा उपलब्धता के सापेक्ष सम्भरित करायी गयी आरक्षित मात्रा का प्रतिशत	5.41%	4.95%	3.02%
अन्य चीनी मिलो द्वारा सम्भरित कराये गये आरक्षित शीरे की मात्रा	25.79	23.13	25.66
एकल चीनी मिलों द्वारा उपलब्धता के सापेक्ष सम्भरित करायी गयी आरक्षित मात्रा का प्रतिशत।	19.46%	18.07%	23.47%

इस प्रकार वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 मे अवशेष स्टाक (Balance Stock) क्रमशः 91,70,463 कु0, 106,80,205 कु0 व 75,20,740 कु0 है, जबकि इन वर्षों में समूह की चीनी मिलो द्वारा क्रमशः 16.35 लाख कु0 16.02 लाख कु0 व 8.35 लाख कु0 आरक्षित शीरे का सम्भरण कराया गया है।

कैप्टिव चीनी मिलों मे अवशेष स्टाक (Balance Stock) की मात्रा कैप्टिव चीनी मिलो द्वारा सम्भरित करायी गयी आरक्षित शीरे की मात्रा से कहीं अधिक है। शीरा वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में कैप्टिव चीनी मिलो द्वारा अपनी शीरे की कुल उपलब्धता के सापेक्ष क्रमशः 5.41 प्रतिशत, 4.95 प्रतिशत व 3.02 प्रतिशत आरक्षित शीरे का सम्भरण कराया गया है जबकि इन्हीं वर्षों में एकल चीनी मिलों द्वारा क्रमशः 25.79

55

लाख कु0, 23.13 लाख कु0 व 25.66 लाख कु0 आरक्षित शीरे का सम्भरण कराया गया है जो उनकी कुल उपलब्धता का क्रमश: 19.46 प्रतिशत, 18.07 प्रतिशत व 23.47 प्रतिशत है।

उपरोक्त आकडों से स्पष्ट है कि शीरा वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में कैप्टिव चीनी मिलों से प्रदेश में शीरे की कुल उपलब्धता का लगभग 70 प्रतिशत शीरा उपलब्ध रहा है, जबकि उनके द्वारा न्यूनतम क्रमश: 5.41 प्रतिशत, 4.95 प्रतिशत एवं 3.02 प्रतिशत आरक्षित शीरा सम्भरित कराया गया है तथा एकल चीनी मिलों से प्रदेश में शीरे की कुल उपलब्धता का लगभग 30 प्रतिशत शीरा उपलब्ध रहा है, जबकि उनके द्वारा अधिकतम क्रमश: 19.46 प्रतिशत, 18.07 प्रतिशत एवं 23.47 प्रतिशत आरक्षित शीरा सम्भरित कराया गया है।

CAPTIVE CONSUMPTION (स्वयं का उपभोग)

वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 में स्वयं का उपभोग क्रमश: 210.30, 216.41 व 201.51 लाख कुण्टल रहा है। कैप्टिव उपभोग का आकडा शीरा वर्ष के प्रारम्भ में प्राप्त होना सम्भव नहीं है, क्योंकि यह तो शीरा वर्ष की समाप्ति पर ज्ञात हो सकता है कि कितना कैप्टिव उपभोग हुआ है। विगत तीन वर्षों के कैप्टिव उपभोग के आंकडों को देखा गया जो कि वर्ष 2011-12, 2012-12 एवं 2013-14 में क्रमश: 210.30, 216.41 व 201.51 लाख कुण्टल रहे। इन वर्षों में शीरे का उत्पादन क्रमश: 388.82, 424.56 एवं 353.48 लाख कुण्टल रहा है। इन आंकडों से स्पष्ट है कि जिन वर्षों में उत्पादन/उपलब्धता कम रही है उन वर्षों में कैप्टिव उपभोग भी कम रहा है।

शीरा वर्ष	उत्पादन (लाख कु0)	कैप्टिव उपभोग (लाख कु0)
2011-12	388.82	210.30
2012-13	424.56	216.41
2013-14	353.48	201.51

वर्ष 2014-15 में भी शीरे का उत्पादन गन्ना आयुक्त की आख्या के तहत कम होने का अनुमान है। अत: ट्रेन्ड के अनुसार कैप्टिव उपभोग भी कम होना चाहिए, लेकिन सम्भावित आगणन हेतु वर्ष 2014-15 हेतु कैप्टिव उपभोग गत वर्ष 2013-14 के समतुल्य ही प्रस्तावित किया जा रहा है।

शीरा वर्ष के प्रारम्भ में वास्तविक उत्पादन तथा वास्तविक उपभोग का ज्ञात होना सम्भव नहीं है। अत: इनके सम्भावित आकडे उपर्युक्त दिये गये तथ्यों के अनुसार लिये जा रहे हैं। स्वयं का उपभोग गत वर्ष के उपभोग तथा उत्पादन गन्ना आयुक्त द्वारा दिये गये सम्भावित उत्पादन को लेते हुये शीरा वर्ष 2014-15 हेतु आगणित किया गया है।

शीरा वर्ष 2013-14 की समाप्ति (अक्टूबर,2014 की समाप्ति) के उपरान्त उपरोक्त स्थिति निम्नानुसार है:-

आरक्षित शीरे की आवश्यकता

अ- नवम्बर,14 से मार्च,15 (3.83 × 5) -- 19.15 लाख कुण्टल
ब- अप्रैल,15 से अक्टूबर,15 (4.105 × 7) -- 28.735 लाख कुण्टल
योग-- 47.88 अर्थात् 48 लाख कुण्टल

1- अ- वर्ष 2014-15 मे सम्भावित उत्पादन (गन्ना आयुक्त के अनुसार) -- 330 लाख कुण्टल
ब- वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर समूह की चीनी मिलों में अवशेष अनारक्षित शीरे की मात्रा -- 30.31 लाख कुण्टल
स- कुल उपलब्धता (अ + ब) -- 360.31 लाख कुण्टल
2- बी0आई0एफ0आर0 के अन्तर्गत 02 चीनी मिलों -- 2.75 लाख कुण्टल

54

का सम्भावित उत्पादन (पुनर्वासन अवधि स्पष्ट न होने के कारण वर्ष 13-14 में छूट प्रदान नहीं की गयी है)

3- आरक्षण हेतु उपलब्ध मात्रा (360.31-2.75) -- 357.56 लाख कुण्टल

4- आरक्षण प्रतिशत -- 15 प्रतिशत

(यदि सभी चीनी मिलों पर आरक्षण किया जाता है) (53.63 लाख कुण्टल)

(क्योंकि कुछ चीनी मिलो से जिनका अवशेष स्टाक (Balance Stock) आरक्षित मात्रा से कम रहेगा उनसे आरक्षित मात्रा कम मिलेगी इसलिये आरक्षित शीरे की मात्रा 48 लाख कुण्टल के आस-पास रहेगी)

5- अनुपात -- 1.5.66 वार्षिक

अवशेष स्टाक की गणना निम्नवत है:-

शीरा वर्ष 2014-15 का सम्भावित अवशेष स्टाक (Balance Stock) = समूह की चीनी मिलों का अनारक्षित प्रारम्भिक अवशेष + शीरा सत्र 2014-15 का उत्पादन - शीरा वर्ष 2014-15 में स्वयं का उपभोग (शीरा वर्ष 2013-14 में स्वयं के उपभोग के समान)

इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या-4466/2007 मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मे मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 24-9-2007 के प्रस्तर-46 व 47 में निम्नवत उल्लेख है:-

46. For the foregoing reasons, in our opinion, the appeal deserves to be allowed and the order of the High Court deserves to be set aside. It is, accordingly held that the directive issued by the respondents would not apply in case there is no balance stock of molasses with any sugar mill. The respondent - authorities have no right to compel such sugar mills to supply 20% molasses for the purpose of manufacturing country liquor.

47. We may, however, make one thing clear. As seen above, the assertion of the appellant was that it has no balance stock and even for its own requirement, it has to import molasses. On the other hand, the allegation of the respondents is that excess and balance molasses was available with the appellant which it had sold in open market. The High Court, in the impugned order has not decided the question finally. Quoting certain paragraphs from the writ-petition, the High Court observed that there was no proper pleading and as such, the Court was not in a position to go into the question. It is, therefore, made clear that it is open to the respondents to take appropriate action in accordance with law on the basis of our decision and observations made in this judgment.

अतः सिविल अपील संख्या-4466/2007 मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 24-9-2007 के पैरा-46 व 47 के तहत निम्न स्थितियाँ होंगी:-

i जिन समूह की कैप्टिव चीनी मिलों के पास अवशेष स्टाक (Balance Stock) आरक्षण की मात्रा से कम होगा उन पर आरक्षण की मात्रा उपलब्ध अवशेष स्टाक की मात्रा तक सीमित रहेगी।

ii जिन समूह की कैप्टिव चीनी मिलों के पास अवशेष स्टाक (Balance Stock) नहीं होगा अर्थात उनकी शीरे की कुल उपलब्धता से अधिक उनका स्वयं का शीरे का उपभोग है, उन पर आरक्षण नहीं होगा।

iii जिन समूह की कैप्टिव चीनी मिलों के पास अवशेष स्टाक (Balance Stock) आरक्षित मात्रा से अधिक होगा उन पर आरक्षण लागू होगा क्योंकि इससे उनके स्वयं के उपभोग (शीरा वर्ष 2013-14 के स्वयं के उपभोग की मात्रा के आधार पर) मे कोई कमी नहीं आयेगी।

देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों के पक्ष मे आरक्षण निर्धारण सम्बन्धी जो प्रस्ताव शीरा समिति द्वारा पारित किया गया है उसमें समूह की चीनी मिलो से जो आरक्षित मात्रा ली जा रही है, वह उस समूह की चीनी मिलो (Captive Sugar Mills) के अवशेष स्टाक (Balance Stock) की मात्रा के अंतर्गत लिया जाना प्रस्तावित है, जिससे मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-4466/2007 मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 24-9-2007 के पैरा-46 व 47 के तहत कार्यवाही हो सके।

प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे का 15 प्रतिशत शीरा आरक्षित रहेगा तथा ऐसी चीनी मिलें जिनकी प्रदेश मे अपनी आसवनियाँ स्थापित हैं, उनमें शीरा सत्र 2013-14 की समाप्ति पर अवशेष अनारक्षित शीरे एवं वर्ष 2014-15 में उत्पादित मात्रा की संयुक्त मात्रा (Total Availability)(एकल चीनी मिलों के अवशेष अनारक्षित शीरे को नहीं सम्मिलित किया जा रहा है, क्योंकि इन पर वर्ष 2013-14 में आरक्षण लिया जा चुका है तथा इससे इन पर दोहरा आरक्षण होगा) पर उक्तानुसार आरक्षण के तहत निम्न स्थिति होगी:-

शीरा वर्ष 2014-15 का सम्भावित अवशेष स्टाक (Balance Stock) = समूह की चीनी मिलों का अनारक्षित पारम्भिक अवशेष + शीरा सत्र 2014-15 का उत्पादन - शीरा वर्ष 2014-15 में स्वयं का उपभोग (शीरा वर्ष 2013-14 मे स्वयं के उपभोग के समान)

Sr No 1	Sugar Mill 2	Opening Balance as on 1.11.2014 3	Estimated Production According to Cane Commissioner 4	Estimated Total Availability 5	Captive Consumption in Year 2013-14 6	Estimated BIFR 6A	Estimated Balance Stock 7(5-6)	On 15% on Col.6 (Subtracting Col 6A) 8	Estimated Balance (Balance Res 15) 9(7-8)
1	FEDERATION ALONE	0	2650432	2650432	0	0	2650432	397565	2252867
2	CORPORATION	0	189129	189129	0	0	189129	28369	160760
3	GOVT OF INDIA	0	0	0	0	0	0	0	0
4	STAND ALONE	0	6622336	6622336	0	275000	6347336	952100	5395235
	GROUP								
1	FEDERATION CAPTIVE	143276	740088	883364	461995	0	421369	132505	288864
2	BAJAJ	544468	5488727	6033195	5511123	0	522072	904979	-382907
3	BALRAMPUR	406625	3600560	4007185	3343907	0	663278	601078	62200
4	TRIVENI	147695	2201577	2349272	1640971	0	708301	352391	355911
5	DSM	559095	1963599	2522694	1953252	0	569442	378404	191038
6	BIRLA	0	580074	580074	770240	0	-190166	87011	-277177
7	AWADH	232335	1150006	1382340	958467	0	423873	207351	216522
8	MAWANA	235055	1166556	1401611	805866	0	595745	210242	385503
9	DALMIYA	73670	1085765	1159435	934784	0	224651	173915	50736
10	DWARIKESH	45635	834820	880455	147684	0	732771	132068	600703
11	Sir SHADILAL	73359	663500	736859	250444	0	486415	110529	375886
12	SIMBHAULI	170752	913789	1084541	779009	0	305532	162681	142850
13	UTTAM	126364	699556	825920	377304	0	448616	123888	324728
14	BAHERI/ KESAR	0	253170	253170	265993	0	-12823	37975	-50799
15	BISWAN/ SAKSERIA	0	385384	385384	412000	0	-26616	57808	-84423
16	DAURALA	139353	701552	840905	611996	0	228909	126136	102773
17	MASODHA / KM	7244	466568	473812	481384	0	-7572	71072	-78644
18	MODI	62297	325976	388273	169074	0	219199	58241	160958
19	SHAKUMBHARI	30465	29641	60106	21742	0	38364	9016	29348
20	TIKOLA	32917	288008	320925	253483	0	67442	48139	19303
	Group Total	3030805	23539914	26569519	20150718	0	6418801	3985428	2433373
	GRAND TOTAL	3030805	33000810	36031415	20150718	275000	15605897	5363462	10242235

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त सदर्भित पत्र दिनांक 06 नवम्बर,2014 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव तथा उसके साथ संलग्न शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की

अध्यक्षता मे दिनांक 18-10-2014 को सम्पन्न शीरा परामर्श समिति की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार शीरे के आरक्षण के सम्बन्ध में सुझाये गये तीनों विकल्पों (विकल्प-ए, बी, सी) में से विकल्प सी के अनुसार आरक्षण प्रतिशत एवं निकासी अनुपात निर्धारित करने की संस्तुति एवं उपरोक्त वर्णित स्थिति के आलोक में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शीरा वर्ष 2014-15 के लिये शीरा नीति निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

(1) प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे का 15 प्रतिशत शीरा आरक्षित रहेगा तथा ऐसी चीनी मिले जिनकी प्रदेश में अपनी आसवनियां स्थापित हैं, उनमें शीरा सत्र 2013-14 की समाप्ति पर अवशेष अनारक्षित शीरे एवं उत्पादित मात्रा की सयुक्त मात्रा पर उक्तानुसार प्रस्तावित आरक्षण निम्नवत् लागू किया जायेगा:-

(i) जिन समूह की कैप्टिव चीनी मिलों के पास अवशेष स्टाक (Balance Stock) आरक्षित (15 प्रतिशत के अनुसार) मात्रा से अधिक होगा उन पर सिविल अपील संख्या-4466/2007 मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 24-9-2007 के प्रस्तर-47 के तहत शीरा वर्ष के प्रारम्भ से ही पूर्ण आरक्षण लागू होगा, क्योंकि इससे उनके स्वयं के उपभोग (शीरा वर्ष 2013-14 के स्वयं के उपभोग की मात्रा के आधार पर) में कोई कमी नहीं आयेगी।

(ii) जिन समूह की कैप्टिव चीनी मिलों के पास अवशेष स्टाक (Balance Stock) आरक्षण की मात्रा से कम होगा उन पर सिविल अपील संख्या-4466/2007 मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24-9-2007 के प्रस्तर-46 के तहत आरक्षण शीरा सत्र के प्रारम्भ से लागू होगा तथा आरक्षण की मात्रा उपलब्ध अवशेष स्टाक की मात्रा तक सीमित रहेगी, जिससे उनके स्वयं के उपभोग में (शीरा वर्ष 2013-14 के स्वयं के उपभोग की मात्रा के आधार पर) कमी नहीं होगी।

(iii) जिन समूह की कैप्टिव चीनी मिलों के पास अवशेष स्टाक (Balance Stock) नहीं होगा अर्थात् उनकी शीरे की कुल उपलब्धता से अधिक उनका स्वयं का शीरे का उपभोग (शीरा वर्ष 2013-14 के स्वयं के उपभोग की मात्रा के आधार पर) है उन पर सिविल अपील संख्या-4466/2007 मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24-9-2007 के प्रस्तर-46 के तहत आरक्षण नही होगा।

उपरोक्त आरक्षण का प्रतिशत इस शर्त के साथ निर्धारित किया जाता है कि चीनी मिलो के चलने के उपरान्त यथा स्थिति/यथा आवश्यकता तत्समय शीरे की उपलब्धता एवं देशी मदिरा की आवश्यकता के आधार पर यदि आरक्षण के प्रतिशत में किसी परिवर्तन (घटाने अथवा बढाने) की स्थिति उत्पन्न होती है, तो शासन स्तर पर यथावश्यकता समस्त तथ्यों पर समग्रता से विचार करके निर्णय लिया जायेगा।

(2) ऐसी चीनी मिले जिनकी अपनी सह आसवनी हैं एवं आसवनी द्वारा देशी मदिरा की आपूर्ति की जाती है तो चीनी मिल सर्वप्रथम शीरा सत्र 2013-14 की समाप्ति पर (दिनांक 31-10-2014 को) अवशेष अनारक्षित शीरे (शीरा सत्र 2013-14 में समूह की चीनी मिलों मे अनारक्षित शीरे की अवशेष मात्रा जिस पर आरक्षण नहीं लिया गया) एवं वर्ष 2014-15 में उत्पादित शीरे (कुल उपलब्धता) का 15 प्रतिशत तक का उपभोग देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु करेगी। यदि उनकी आसवनी द्वारा 15 प्रतिशत के उपभोग के उपरान्त भी देशी मदिरा की आपूर्ति की जाती है तो अतिरिक्त शीरे का आवंटन हेतु आवेदन करने पर पेराई कार्य समाप्ति के उपरान्त उत्पादन की स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात् शीरा वर्ष के प्रारम्भ से गणना करते हुये (अर्थात् नवम्बर से माह अक्टूबर तक) की गयी आपूर्ति के सापेक्ष आरक्षित शीरे के आवंटन पर शीरा नियंत्रक/आबकारी आयुक्त के प्रस्ताव पर विचार कर शासन स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।

(3) आरक्षित शीरे के उठान हेतु आरक्षित/अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपात निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है

(i) 15 प्रतिशत आरक्षण की स्थिति में आरक्षित/अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी का अनुपात सम्पूर्ण शीरा वर्ष के लिये निकासी का अनुपात 1:5.66 रखा जाता है।

(ii) 15 प्रतिशत आरक्षण की स्थिति में शीरा वर्ष 2014-15 में माह नवम्बर,2014 से अप्रैल,2015 तक की अवधि मे आरक्षित/अनारक्षित शीरे के मध्य मासिक निकासी का अनुपात 1:9 तथा इसके पश्चात् मई से अक्टूबर,2015 तक की अवधि के लिये मासिक निकासी का अनुपात 1:5.66 रखा जाता है। इसकी गणना प्रत्येक निकासी के लिये नहीं, बल्कि पूरे माह में की गई सम्पूर्ण निकासी पर की जायेगी।

(4) माह के अन्त से (माह नवम्बर,14 से अप्रैल,15 तक की अवधि में) यदि चीनी मिल आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे की उपरोक्तानुसार निकासी के न्यूनतम् अनुपात को बनाये रखने में असफल होती हैं तो आगामी माह में उसके निकासी मे अनुपात की यह सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी और ऐसी चीनी मिल के लिये शीरे की प्रत्येक निकासी में अनिवार्य रूप से 1:5.66 का अनुपात रखना निम्नलिखित व्यवस्था के अंतर्गत देय सुविधा के साथ बाध्यकारी होगा:-

(a) प्रत्येक चीनी मिल आगणित आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के विक्रय हेतु वर्तमान में प्रचलित विक्रय/टेण्डर प्रक्रिया के अनुरूप प्रत्येक माह के प्रारम्भ में टेण्डर आमंत्रित करेंगी। यह टेण्डर उत्तर प्रदेश में प्रचार-प्रसार रखने वाले कम से कम दो प्रमुखदैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा, जिसकी प्रति शीरा नियंत्रक, सम्बन्धित संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन एवं जिला आबकारी अधिकारी को फैक्स/ई-मेल के माध्यम से/पंजीकृत डाक से प्रेषित की जायेगी।

(b) यदि मिल द्वारा किये गये टेण्डर के सापेक्ष कोई ऑफर/प्रस्ताव ऐसी आसवनियों से प्राप्त नहीं होता है, जो देशी मदिरा का उत्पादन करती हैं तो टेण्डर में उल्लिखित आरक्षित शीरे की मात्रा (1:5.66 के निकासी के अनुपात के अनुसार) को शीरा नियंत्रक द्वारा अनारक्षित शीरे में परिवर्तित कर दिया जायेगा तथा उसके अनुसार देशी मदिरा उत्पादन हेतु आरक्षित 15 प्रतिशत की मात्रा स्वतः कम हो जायेगी। आगामी माह मे इस प्रकार परिवर्तित की गयी मात्रा एवं इसके सापेक्ष फ्री सेल की मात्रा जो पिछले माह में न बिकी हो को विक्रय/उठान किये जाने हेतु मिल स्वतंत्र होंगी जिस पर 1:5.66 (यथा स्थिति) का अनुपात लागू नहीं होगा।

(c) आगामी माहो हेतु आरक्षित शीरे की मात्रा (15 प्रतिशत) की गणना बिन्दु-बी के अनुसार परिवर्तित किये गये शीरे की मात्रा को घटाने के उपरान्त किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार अनुपात इस शर्त के साथ निर्धारित किया जाता है कि चीनी मिलो के चलने के उपरान्त यथास्थिति/यथावश्यकता तत्समय शीरे की उपलब्धता एवं देशी मदिरा की आवश्यकता के आधार पर यदि अनुपात में किसी परिवर्तन(घटाने अथवा बढ़ाने) की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस सम्बन्ध में शीरा नियंत्रक/आबकारी आयुक्त से प्राप्त प्रस्ताव पर शासन स्तर पर यथा आवश्यकता समस्त तथ्यों पर समग्रता से विचार करके निर्णय लिया जायेगा।

(5) चीनी मिलें देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों को आरक्षित शीरे का विक्रय/सम्भरण उक्त व्यवस्थाओं के अंतर्गत निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप कराते हुये तदनुरूप निर्धारित अनुपात को दुरूस्त करना सुनिश्चित करेंगी।

(6) शीरा वर्ष 2014-15 में अनुपात अनुरक्षण की मासिक समीक्षा की जायेगी।

(7) चीनी मिलों में पेराई के दौरान निर्धारित अनुपात मे शीरा विक्रय न कर सकने तथा मिलों में सीमित भण्डारण क्षमता होने के कारण शीरा ओवर-फ्लो होकर नष्ट होने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। कतिपय प्रकरणों में टैंक के लीकेज होने, ओवर फ्लो होने, आटोकम्बशचन की स्थिति व अन्य आकस्मिकता की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति मे शीरे को तत्काल क्षति से बचाने, राजस्व क्षति को रोकने एवं उद्योग हित की दृष्टि से अस्थायी रूप से अनुपात शिथिल करने की अनुमति आबकारी आयुक्त की संस्तुति प्राप्त होने पर

58

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उस पर विचार कर संस्तुति करने पर उस पर निर्णय मा0 आबकारी मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त शासन स्तर से लिये जाने का प्राविधान विगत वर्षों की शीरा नीति में किया गया था।

अतः शीरा नीति 2013-14 की भांति शीरा नीति वर्ष 2014-15 में भी यह व्यवस्था की जाती है कि अस्थायी तौर पर शीरा अनुपात में शिथिलीकरण प्रकरणों को निस्तारित किये जाने के निमित्त चीनी मिलों के प्राप्त आवेदन पत्रों पर गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करके आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक द्वारा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित शासन को प्रेषित किया जायेगा, जिस पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित शीरा विचलन समिति विचार कर अपनी संस्तुति उपलब्ध करायेगी तथा समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(8) शीरा नीति वर्ष 2013-14 की भांति शीरा वर्ष 2014-15 में सामान्यतः शीरा निर्यात पर प्रतिबन्ध रहेगा, किन्तु शीरे की उपलब्धता आवश्यकता से अधिक होने पर राजस्वहित में उसके निर्यात के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक की सुविचारित संस्तुति प्राप्त होने पर शीरा निर्यात की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित शीरा विचलन समिति द्वारा संस्तुत किये जाने पर मा0 आबकारी मंत्री जी के अनुमोदन से अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। शीरा निर्यात हेतु उत्तराखण्ड राज्य को वरीयता दी जायेगी। उसे प्रशासनिक शुल्क रू0 15/- प्रति कुण्टल की दर से शीरा निर्यात किया जायेगा। उक्त दशा में उत्तराखण्ड राज्य से एम0ओ0यू0 आवश्यकता नहीं होगी। शीरा नीति वर्ष 2013-14 की भांति वर्ष 2014-15 में भी अन्य राज्यों से शीरा आयात करने से पूर्व आयातक को आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करने की व्यवस्था यथावत् बनाये रखी जाती है।

(9) शीरा नीति 2013-14 की भांति शीरा वर्ष 2014-15 में भी अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात/निर्यात करने की अनुमति शासन के अनुमोदन से प्रदान करने एवं शीरा आयातक/निर्यातक को भारत सरकार द्वारा आयात/निर्यात के सम्बन्ध में निर्धारित नीति एवं शर्तों का पालन करने के साथ आयात/निर्यात करने की अनुमति प्रदान करने की व्यवस्था यथावत् बनाये रखी जाती है।

(10) उत्तर प्रदेश में शीरे की उपलब्धता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा अन्य राज्यों को शीरा के आयात/निर्यात के सम्बन्ध में सुविचारित शर्तों के अधीन शासन स्तर से एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जा सकता है।

(11) शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर शीरा नीति वर्ष 2013-14 की भांति शीरा वर्ष 2014-15 में भी प्रदेश के अन्दर खपत के लिये रू0 11/- प्रति कुण्टल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात पर रू0 15/- प्रति कुण्टल यथावत् रखने एवं इसके अतिरिक्त देश के अन्य प्रान्तों से शीरा आयात पर रू0 11/- प्रति कुण्टल तथा अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात/निर्यात पर प्रशासनिक शुल्क की दर रू0 15/- प्रति कुण्टल को यथावत् बनाये रखा जाता है।

(12) शीरा वर्ष 2014-15 में चीनी मिलों में जमा शीरा निधि की धनराशि शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त के आदेशों/निर्देशों के अनुरूप अवमुक्त की जाएगी। यदि कोई चीनी मिल अपने समूह की अन्य चीनी मिल/चीनी मिलों के खाते में जमा शीरा निधि की धनराशि को उपयोग हेतु अवमुक्त कराना चाहती है (अन्तरइकाई हस्तान्तरण) तो उसे आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(13) शीरा नीति 2013-14 की भांति शीरा सत्र की समाप्ति के पूर्व यथोचित समय पर अवशेष अविक्रीत आरक्षित श्रेणी के शीरे को स्वयं के उपभोग अथवा फ्री-सेल में विक्रय हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों को आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक द्वारा यथास्थिति निर्णय लेते हुए शासन को संदर्भित करने एवं उस पर शासन द्वारा

49

गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिये जाने की व्यवस्था को शीरा वर्ष 2014-15 में भी यथावत् बनाये रखा जाता है।

(14) खाण्डसारी शीरे की आड़ में प्रदेश की चीनी मिलों का भी शीरा तस्करी करके अन्य प्रान्तों में भेजे जाने की सम्भावना बनी रहती है। अतः शीरे की तस्करी रोकने एवं उस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु तथा सिविल अपील संख्या-4796/1998 कुराली शीरा उद्योग बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य मे मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक मे गत शीरा वर्ष 2013-14 की भांति इस शीरा वर्ष 2014-15 में भी खाण्डसारी शीरे का प्रदेश से बाहर निर्यात आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर ही किया जायेगा।

(15) शीरा नीति वर्ष 2013-14 की भांति वर्ष 2014-15 में भी प्रदेश की चीनी मिलों से सम्भरित कराये जाने वाले शीरे के उठान को नियंत्रित करने एवं सम्भरित शीरे का सही लेखा-जोखा रखने के उद्देश्य से शीरे पर आधारित इकाईयों को शीरे का उठान शीरा पासबुक के आधार पर ही किये जाने की व्यवस्था लागू किया जाना तथा शीरे के सम्भरण, संचालन तथा परिवहन हेतु उचित प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के प्राविधान/निर्देश शीरा नियंत्रक के स्तर से जारी किये जायेंगे।

(16) विगत शीरा नीति 2013-14 में यह प्राविधान था कि शासन द्वारा बी0आई0एफ0आर0 के अन्तर्गत आने वाली किसी चीनी मिल को यदि छूट प्रदान की जाती है, तो छूट मिलने की तिथि से रिहेबिलिटेशन पैकेज की अवधि तक उस चीनी मिल में उत्पादित/उपलब्ध शीरे पर आरक्षण लागू नहीं होगा, परन्तु ऐसी चीनी मिलों को प्रशासनिक शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी। इस व्यवस्था को वर्ष 2014-15 में भी इस शर्त के साथ यथावत् बनाये रखना प्रस्तावित है कि रिहेबिलिटेशन पैकेज की अवधि स्पष्ट करने एवं उससे सम्बन्धित मा0 बी0आई0एफ0आर0 के प्रासंगिक आदेश उपलब्ध कराने की बाध्यता सम्बन्धित चीनी मिल की होगी।

(17) विगत शीरा नीति वर्ष 2013-14 की भांति प्रदेश में शीरे पर आधारित लघु इकाईयां जैसे-यीस्ट, पशु आहार, तम्बाकू इत्यादि उत्पादक इकाईयों को शीरे का आवण्टन उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 की धारा-7 के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर स्थानीय अधिकारियो की आख्या/संस्तुति, इकाईयों की यथार्थ मांग एवं प्रदेश में शीरे की उपलब्धता, वास्तविक आवश्यकता तथा लोक-हित में शीरे की सदुपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए इकाईयों की निर्धारित क्षमता के अन्तर्गत समय-समय पर शीरे की उपलब्धता, आवश्यकता एवं सदुपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुये आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक द्वारा शीरा आवंटित किये जाने का प्राविधान शीरा नीति 2014-15 मे भी यथावत् बनाये रखा जाता है।

(18) यदि कोई देशी मदिरा निर्माता आसवनी अन्य पेय मदिरा/मिश्रित/औद्योगिक आसवनी से ई0एन0ए0 देशी मदिरा के लिये प्राप्त करती है, तो ऐसी ई0एन0ए0 (Extra Neutral Alcohol) आपूर्तक इकाई को आपूर्ति की गई मात्रा के समतुल्य आरक्षित शीरे की मात्रा की आपूर्ति ई0एन0ए0 प्राप्त करने वाली आसवनी को आवंटित आरक्षित शीरे की मात्रा से समायोजित कर उपलब्ध कराये जाने की शीरा नीति वर्ष 2013-14 की व्यवस्था को शीरा नीति वर्ष 2014-15 में भी बनाये रखा जाता है।

(19) शीरा नीति मे विचलन के प्रकरणों का निस्तारण किये जाने हेतु शीरा वर्ष 2013-14 में यह व्यवस्था थी कि ऐसे मामलों में आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक द्वारा अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित की जाएगी, जिसके संदर्भ में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता मे गठित समिति विचार करके अपनी संस्तुति करेगी और उस पर अन्तिम निर्णय मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा लिया जायेगा। उक्त व्यवस्था को शीरा वर्ष 2014-15 में भी बनाये रखा जाता है और शीरा नीति में विचलन के प्रकरणों पर विचारार्थ शीरा नीति वर्ष 2013-14 की भांति शीरा नीति वर्ष 2014-15 में भी अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता मे निम्नानुसार शीरा विचलन समिति का गठन किया जाता है :-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त। - अध्यक्ष

(2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, अथवा कम से कम विशेष सचिव स्तर के उनके प्रतिनिधि। - सदस्य

48

(3) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग अथवा कम से कम विशेष सचिव स्तर के उनके प्रतिनिधि। - सदस्य

(4) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग अथवा कम से कम विशेष सचिव स्तर के उनके प्रतिनिधि। - सदस्य

(5) प्रमुख सचिव/सचिव आबकारी विभाग - सदस्य/संयोजक

(20) यह शीरा नीति 2014-15 मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में लम्बित एस0एल0पी0 (सी) संख्या-29016/2012 मेसर्स द्वारिकेश शुगर इण्डस्ट्री लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

(21) यह शीरा नीति वर्ष 2014-15 तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक कि वर्ष 2015-16 के लिये शीरा नीति घोषित/लागू नहीं कर दी जाती है।"

अतः इस कार्यालय के आदेश सं0–8255/दस–शीरा/शीरा नीति/203–14 दिनांक–14.08.2014 के सन्दर्भ मे मैं किशन सिंह अटोरिया, शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, शीरा नियंत्रण अधिनियम–1964 की धारा–8(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शासकीय पत्र सं0–02/2230ई–2/तेरह–2014–129/2013 दिनांक–16.01.2015 में यथानिर्धारित, शीरा वर्ष 2014–15 के लिए उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के सम्बन्ध में, शीरा नीति वर्ष 2014–15 एतद्द्वारा घोषित/जारी करता हूँ।

किशन सिंह अटोरिया
शीरा नियंत्रक एव आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

सं0–27720–20670 /दस–शीरा/शीरा नीति/2014–15 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी विभाग, बापू भवन, लखनऊ ।
2– गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
3– समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4– समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार अनुपात की समीक्षा करना सुनिश्चित करें ।
5– समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय ।
6– समस्त जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
7– समस्त उप/आबकारी निरीक्षक/अध्यासी चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश ।
8– उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर नगर ।
9– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ ।
10– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल लि0 लखनऊ ।
11– अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आसवक संघ, पी0एच0डी0 हाउस अपोजिट एशियन गेम्स विलेज नई दिल्ली।
12– सचिव, यू0पी0 आबिदा, रोहतास गोल्फ लिंक अपार्टमेन्ट, 98 पार्क लखनऊ ।
13– अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ लखनऊ ।
14– समस्त आसवनियाँ/इकाईयाँ उत्तर प्रदेश ।

(सन्दीप कुमार शर्मा)
अपर आबकारी आयुक्त(प्रशासन)
उत्तर प्रदेश ।